



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06022023-243477
CG-DL-E-06022023-243477

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 562]
No. 562]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 6, 2023/माघ 17, 1944
NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 6, 2023/MAGHA 17, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 फरवरी, 2023

का.आ. 591(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि सिक्किम राज्य के नार्थ डिस्ट्रिक्ट जिले में NH310A के कि.मी. 95.5 से कि.मी.97 (चुंगथांग बाईपास, सेक्शन) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् उप प्रभागीय न्यायाधीश को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि

कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौर सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

सिक्किम राज्य के नार्थ डिस्ट्रिक्ट जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 310A के कि.मी. 95.5 से कि.मी. 97 (चुंगथांग बाईपास, सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: सिक्किम		जिले का नाम: नार्थ डिस्ट्रिक्ट			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: चुंगथांग					
गांव का नाम: चुंगथांग					
1	201	निजी	डीएँफ़ III	0.0396000(हेक्टेयर)	0.0396000
2	202	निजी	सीएँफ़ III	0.2342000(हेक्टेयर)	0.2342000
3	203	सरकारी	खसमल	0.0143000(हेक्टेयर)	0.0143000
4	206	निजी	सीएँफ़ III	0.1994000(हेक्टेयर)	0.1994000
5	206	निजी	सीएँफ़ ऐऐऐऐ	0.0539000(हेक्टेयर)	0.0539000
6	207	निजी	डीएँफ़ III	0.0558000(हेक्टेयर)	0.0558000
7	208	सरकारी	खोला	0.0240000(हेक्टेयर)	0.0240000
8	209	निजी	सीएँफ़ III	0.1366000(हेक्टेयर)	0.1366000
9	210	निजी	सीएँफ़ III	0.2843000(हेक्टेयर)	0.2843000
10	211	निजी	डीएँफ़ III	0.1760000(हेक्टेयर)	0.1760000
11	212	निजी	सीएँफ़ III	0.1124000(हेक्टेयर)	0.1124000
12	212	निजी	डीएँफ़ III	0.0966000(हेक्टेयर)	0.0966000
13	213	सरकारी	खसमल	0.0289000(हेक्टेयर)	0.0289000
14	650	सरकारी	खसमल	0.1382000(हेक्टेयर)	0.1382000
15	694	निजी	सीएँफ़ III	0.1215000(हेक्टेयर)	0.1215000
16	695	सरकारी	खसमल	0.0232000(हेक्टेयर)	0.0232000

17	697	सरकारी	खसमल	0.8363000(हेक्टेयर)	0.8363000
18	698(P)	सरकारी	Govt.	0.0684000(हेक्टेयर)	0.0684000
19	698/1785	निजी	सीएँफ़ III	0.1591000(हेक्टेयर)	0.1591000
20	699	निजी	डीएँफ़ III	0.0428000(हेक्टेयर)	0.0428000
21	700	निजी	बाजो	0.3645000(हेक्टेयर)	0.3645000
कुल				3.2100	3.2100

[फा. सं. 759/3A]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th February, 2023

S.O. 591(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (Upgradation to two lane with paved shoulder etc.), maintenance, management and operation of NH310A in the stretch of land from Km 95.5 to Km 97.00 (Chunthang Bypass Section) in the district of NORTH DISTRICT in the state of SIKKIM, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, the Sub Divisional Magistrate in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling within the stretch of land from Km. 95.5 to Km. 97.00 (Chunthang Bypass Section) of the National Highway No 310A in the district of NORTH DISTRICT in the state of SIKKIM.

State: SIKKIM		District: NORTH DISTRICT			
Sl.No.	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: Chunthang					
Village: Chunthang					
1	201	Private	DF III	0.0396000(Hectare)	0.0396000
2	202	Private	CF III	0.2342000(Hectare)	0.2342000
3	203	Government	Khasmal	0.0143000(Hectare)	0.0143000
4	206	Private	CF III	0.1994000(Hectare)	0.1994000

5	206	Private	CF III	0.0539000(Hectare)	0.0539000
6	207	Private	DF III	0.0558000(Hectare)	0.0558000
7	208	Government	khola	0.0240000(Hectare)	0.0240000
8	209	Private	CF III	0.1366000(Hectare)	0.1366000
9	210	Private	CF III	0.2843000(Hectare)	0.2843000
10	211	Private	DF III	0.1760000(Hectare)	0.1760000
11	212	Private	CF III	0.1124000(Hectare)	0.1124000
12	212	Private	DF III	0.0966000(Hectare)	0.0966000
13	213	Government	Khasmal	0.0289000(Hectare)	0.0289000
14	650	Government	Khasmal	0.1382000(Hectare)	0.1382000
15	694	Private	CF III	0.1215000(Hectare)	0.1215000
16	695	Government	Khasmal	0.0232000(Hectare)	0.0232000
17	697	Government	Khasmal	0.8363000(Hectare)	0.8363000
18	698(P)	Government	Govt.	0.0684000(Hectare)	0.0684000
19	698/1785	Private	CF III	0.1591000(Hectare)	0.1591000
20	699	Private	DF III	0.0428000(Hectare)	0.0428000
21	700	Private	Bajo	0.3645000(Hectare)	0.3645000
Total				3.2100	3.2100

[F. No. 759/3A]

RAJESH GUPTA, Director